ST. JOSEPH'S ACADEMY

Affiliated to C.B.S.E. New Delhi, Up to 10+2

Phone No-06152-245188, Web:- www.stjosephsacademy.ac.in

SSA Code - 0207

Affiliation No. 330554

U-Dise No:10170109401

School No. 65535

RTE Reg.No: 21912612021922101509

Ref. SJA/MPD/2026-27/08

Date 21/05/2026

Consent and Declaration Regarding Mandatory Public Disclosure

This is to certify that all the information and documents uploaded on the school website under the "Mandatory Public Disclosure" section are true, correct, authentic, and updated as per the records available in the school.

I hereby give my consent and declare that the details uploaded by the school management comply with the guidelines and norms prescribed by Central Board of Secondary Education.

The uploaded documents/information have been verified carefully and are being submitted for official purposes related to affiliation and compliance requirements.

Thanking you.

Yours faithfully,

Principal
St. Joseph's Academy
Saran (Bihar)

Dr. Kalpana Chhetri
Principal
St. Joseph's Academy
CBSE Affiliation No.: 330554
Contact No.: 06152-245188/89

At+Po- Sarai Box (Mahabir chowk),
Rewa Road, Saran (Bihar) - 841311
E-mail :- st.josephacademy245188@gmail.com,
65535@cbseshiksha.in

NO : CBSE/330554/EX-02213-2526/2025-26/ Dated: 25/04/2024

The Manager,
ST JOSEPH`S ACADEMY SARAI BOX BHELDI SARAN BR
VILL. SARAI BOX (MAHABIR CHOWK),VIA GARKHA P.S. BHELDI
BIHAR,SARAN, 841311
(M: 06152-245188)

SUBJECT: -Extension of General Affiliation up to Senior Secondary Level .

This is with reference to school application on the subject cited above. In this connection, I am directed to convey the approval of the Board for Extension of General Affiliation as per details given below:-

Affiliation No used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System	**330554**
School No	65535
Affiliated for	Extension of General Affiliation
Category	Extension of Affiliation
Period of affiliation	01.04.2025 to 31.03.2030

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

1. The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The school will be responsible for its genuineness. In case of any discrepancies, necessary action will be initiated against the school as per Affiliation Bye -Laws-2018.
2. The school shall follow all the provisions of Affiliation Bye-Laws- 2018, Examination Bye-Laws, circulars, guidelines, instructions and other amendments issued from time to time by the Board.
3. The School shall possess following valid mandatory documents at all times :

   a. No Objection Certificate

   b. Recognition Certificate

   c. Land Certificate

   d. Fire Safety Certificate

   e. Building Safety Certificate

   f. Certificate of Registration of Society/Trust/Company

   g. Safe Drinking Water and Sanitary Condition Certificate
4. The School shall also ensure the compliances with the Board's Bye-laws in respect of following facilities and infrastructure within 3 months and submit compliance on SARAS portal.
   1. Boundary Wall: Concrete boundary wall of not less than 6 ft. height, enclosing the school campus/site. Composite boundary walls which are partly concrete and partly grill/mesh/barbed wire below 6 feet will not be acceptable. If fencing/grill is required, then the same should be over and above 6 feet height.
   2. Ramps at the entrance(s) as well as Ramps/lifts for CWSN, to access the upper floors of the school (in case of a multistoried school) (Circular No. CBSE/AFF-05/2023 dated 06.03.2023).
   3. Separate toilets for CWSN, boys and girls on every floor (in case of multistoried schools) (Circular No. CBSE/AFF-05/2023 dated 06.03.2023).

4. Appropriate laboratory infrastructure for Secondary School (Composite Science Lab, Mathematics Lab, Computer Lab) and for Senior Secondary School (Composite Science Lab, Mathematics Lab, Computer Lab, Physics Lab, Chemistry Lab, Biology Lab.) (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
5. Well stocked library with adequate reading area. (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
6. Well-developed indoor and outdoor sports facilities. (Circular no. CBSE/AFF-11/2022 dated 04.10.2022)
7. Well-developed Digital Infrastructure (Circular No. CBSE/AFF-10/2023 dated 24.03.2023)

Failure to comply within the prescribed time may invite financial penalty @ 50,000/- per month until compliance is submitted and may debar the school from filling the registration and LOC of students' class IX to class XII, as the case may be.

If the compliance is not submitted with in the stipulated 3 months , the Board may enhance the penalty amount and debar the schools from filling up registration/LOC details of students of classes IX to XII, as the case may be, in the next academic session i.e. 2024-25.

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY (AFF.)

Note :-

1. The School is required to apply online for extension of affiliation before its expiry along with the requisite fee and other documents as per Rule 10.3 of Affiliation Bye Laws.
2. The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time. The school will also abide by the conditions prescribed, if any, by the State Government concerned.
3. The school shall be solely responsible for any legal consequences arising out of the use of school name/logo/society/trust or any other identity /activity related to running of school affiliated to CBSE. All legal expenses incurred by the Board, if any, arising out of these circumstances, shall be borne by the school.
4. The school shall not remove the documents and videography links in the mandatory disclosure section of its website.

This is an electronically generated document. It does not need any signature.
To verify the authenticity of the document , please visit
(http://www.saras.cbse.gov.in/saras/AffiliatedList/ListOfSchdirReport).

Self Attested by .

Principal
St. Jos[illegible] Academy
Sarai Baknash, Saran ([illegible])

№ 017469

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या ८४६ वर्ष 2011-12

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "स्वर्गीय राजेन्द्र प्र० सिंह एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाईटी," अटल नगर (नेवाजी टोला), पो०- गुरुकुल मेहिंया, जिला- छपरा (सारण), (बिहार). पिन- ८४१३०१

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख पाँच मास जुलाई वर्ष दो हजार ग्यारह को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए

[signature]

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

Self attested

Principal
St. Joseph's Academy
Sarai Bakhash, Saran (Bihar)

दि० स० मु० (निबन्धन), 1—II—10,000—8-5-2010

Registration no: (21912612021922101509) Date: (07-03-2024) Valid till: (7-3-2027)

बिहार सरकार

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

ST. JOSEPH'S ACADEMY

AT + PO - SARAI BOX, VIA- GARKHA, SARAN, BIHAR

विषय :- वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र ।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 22-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 07-03-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय ST. JOSEPH'S ACADEMY, AT + PO - SARAI BOX, VIA- GARKHA, SARAN, BIHAR, SARAI BOX, 841311 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षा 07-03-2024 से 7-3-2027 अवधि के लिए औपवंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के वाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे ।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में वच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत वच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के वच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उघ्दत वच्चों के मामले में विद्यालय को वच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से वैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी वच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी वच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के वाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

(i) किसी भी नामांकित वच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित वच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा ।

(ii) किसी भी वच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा ।

(iii) किसी भी वच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के वोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(iV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक वच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग वच्चों का समावेशन किया जाएगा ।

(Vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(Vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे ।

(Viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे ।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा ।

Self Attested

Principal
St. Joseph's Academy
Sarai Bakhash, Saran (Bihar)

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

(i) विद्यालय परिसर क क्षेत्रफल :- 8862 डिसमिल

(ii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 8862 डिसमिल

(iii) खेल के मैदान क क्षेत्र :- SMART CLASSES, PHY. LAB, CHE. LAB, BIO. LAB, MATHS. LAB, COMPUTER LAB, LIBRARY, INDOOR AND OUT DOOR GAMES, RAMP, PERSONAL TRANSFORMAL AND JENRETOR, RO WATER COOLERS, SEPRATE TOILETS FOR GIRLS, BOYS, STAFFS AND ALL MORDERN FACILITIES

(iV) वर्ग कक्षों कीं कुल संख्या :- 39

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 21

(Vi) बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शोचालय :- Both Indian and Western , Boys :- 19 , Girls 18

(Vii) पेयजल की सुविधा :- 18

(Viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 1

(IX) बाधारहित पहुँच,[ ] :-

(X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- GREEN BOARDS, SMART CLASSES, MODELS, CHARTS ETC. , CRICKET BAT AND BICKETS, VOLLY BALL, BADMINTON, CHESS, TABLE TENIS, CARROM, LUDO, SHOOTING AND ALL INDOOR AND OUT DOOR GAMES FACILITIES , (Y , 999 , NewsPaper MagaZine:- 17)

11. कोई भी अपस्वीकृत वर्गका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास केलिए होगा ।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा ।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा ।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी ।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या [21912612021922101509, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्धृत किया जाए ।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

9/3/2024

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समग्र शिक्षा, सारण

विश्वासभाजन
ह० /-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, SARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

कार्यालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, सारण

पत्रांक/ऑडिट- **SR2026A04109**

दिनांक- **03/04/2026**

WE SERVE TO SAVE
BIHAR FIRE SERVICE

☏ **+91 7485806110**

✉ **fso-chhapra-bih@gov.in**

सेवा में,

ST JOSEPHS ACADEMY / ST. JOSEPH'S ACADEMY,
At Sarai Bakhsh Po Sarai Bakhsh Mahaveer Chowk Raipura Garkha Saran / At Sarai Bakhsh Po Sarai Bakhsh Mahaveer Chowk Raipura Garkha Saran, Saran, 841311
Email id: 65535@cbseshiksha.in, Mob No.: 8809393802

विषयः- **अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक **23/03/2026** को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी **मढ़ौरा** द्वारा दिनांक **28/03/2026** को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे है।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैद्यता दिनांक **27/03/2027** को समाप्त हो जायेगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सारण

<u>प्रतिलिपिः-</u>

01. निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, **मढ़ौरा** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Self Attested

Principal
St. Joseph's Academy
Sarai Bakhsh, Saran (Bihar)

Digitally signed by ANIRUDDHA PRASAD
Date: 2026.04.03 17:18:06 +05:30

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सारण

पत्रांक 10 / न 4–110 / 2012.....

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक ....

विषय : **St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311** को अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311** को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य / सचिव / विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों / कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय **स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह एजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसाईटी** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति / परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **02.19 एकड** भूमि 30 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाऐं बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में **18** शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–258, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्त्ते स्वीकार है।

Self Attested
Principal
St. Joseph's Academy
Sarai Bakhsh, Saran (Bihar)

अपेक्षित शर्त्तों के अनुसार :–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निः शुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी मे अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/– (दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तों को पूरा करने के [illegible] के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर [illegible] सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9 साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक [illegible] होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति [illegible] में [illegible]

10 विभागीय पत्रांक–46, दिनांक 18.01 [illegible] द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड [illegible] संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन [illegible] होगा।

11 विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311** [illegible] सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया [illegible]

विश्वासभाजन

ह0/–

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक 1599 दिनांक 14/1/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, **St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/1/12

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

14/1/12